भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3380

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया और डीएपी की कमी

3380. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां यूरिया और डीएपी की कमी की सूचना मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य/जिला-वार क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने राजसहायता प्राप्त यूरिया और डीएपी उर्वरकों के अन्यत्र विपथन, अवैध बिक्री और दुरुपयोग के विरुद्ध प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया है, यदि हां, तो दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का उर्वरक की बढ़ती लागत से प्रभावित छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता अथवा विशेष उपाय करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने डीएपी और अन्य आवश्यक उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक आयात नीति, दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों और घरेलू विनिर्माण योजनाओं की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने यूरिया और डीएपी उत्पादन, आयात प्रबंधन, राजसहायता सुधारों और किसानों के लिए वहनीय उपलब्धता को शामिल करने के लिए एक दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा रूपरेखा तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

इसके अलावा, राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार उक्त उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में सूचना **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

(ख): उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को ऐसे कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, विपथन और अन्य कदाचारों संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

तदनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान विपथन और अन्य कदाचारों के रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 (31.07.2026 तक) की अवधि के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में डीएएंडएफडब्ल्यू से प्राप्त जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

(ग) से (ड़): यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अलावा, यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अंत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है

जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर नामित पीएसयू की जेवीसी के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। ये दोनो परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटी बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, सीसीईए ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को 15.07.2026 को मंजूरी दी।

इसके अलावा, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरक के एमआरपी को नियंत्रणमुक्त रखा गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार उचित स्तर पर एमआरपी नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस सब्सिडी अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान उनकी पीओएस बिक्री पर निर्माता/आयातक को प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरें निर्धारित करते समय प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव पर विचार किया जाता है ताकि किसानों के लिए उर्वरक वहनीय बने रहें।

इसके अलावा, डीएपी जो कि एक प्रमुख उर्वरक है, को 1350 रूपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए, 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें 'अन्य लागतों', जैसे कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान को कवर करने, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान खरीफ 2026 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा आयातित और घरेलू डीएपी दोनों तथा आयातित टीएसपी के लिए भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

हालांकि, आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर दिनांक 18.01.2024 को जारी दिशानिर्देश के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं, जैसे कि आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया गया है; अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है; एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर 28 ग्रेड कर दी गई है; मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू की गई है। इसके अलावा उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस स्कीम के तहत पोषक तत्वों की दरें द्विवार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

इसके अलावा, भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार देश में उर्वरकों की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक करार करने में भारतीय उर्वरक कंपनियों को सुविधा प्रदान करती है।

इसके अनुरूप, भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष भारत को डीएपी/एनपीके की लगभग 31 एलएमटी और 26.50 एलएमटी की वार्षिक आपूर्ति के लिए सऊदी अरब और रूसी कंपनियों के साथ करारों को अंतिम रूप दिया है।

म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) के लिए, भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष रूस, जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान से 4.80 एलएमटी की आपूर्ति के लिए करारों को अंतिम रूप दे दिया है।

इसके अलावा, देश की यूरिया आपूर्ति को मजबूत करने के लिए, अगस्त 2026 से फरवरी 2031 तक की अवधि के लिए यूरिया की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) और ओक्यू ट्रेडिंग, ओमान के बीच एक दीर्घकालिक करार (एलटीए) हुआ है।

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक लोक सभा के दिनांक 07.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3380 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

2023-24 से 2025-26 तक यूरिया और डीएपी की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	राज्य	2023-24						2024-25						2025-26					
		यूरिया			डीएपी			यूरिया			डीएपी			यूरिया			डीएपी		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	15.60	19.22	17.06	4.80	6.32	5.45
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	3.35	5.13	4.60	0.56	0.95	0.72
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	23.82	28.12	25.33	6.10	8.04	6.57
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	10.00	12.41	9.81	4.10	4.29	3.25
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.26	0.25	0.21	0.05	0.05	0.05
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	25.02	25.95	23.99	6.30	5.82	5.32
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	21.67	26.08	23.20	5.53	6.10	5.46
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.66	0.94	0.79	0.02	0.05	0.05
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	1.46	2.24	1.60	0.46	0.61	0.43
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	2.90	3.73	3.22	0.80	1.13	0.93
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	18.77	21.55	18.85	5.98	7.79	6.09
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	40.42	47.16	42.43	15.00	13.09	11.47
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	26.77	32.37	27.27	7.20	8.06	5.81
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.20	0.24	0.19	0.03	0.05	0.04
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.07	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	6.20	8.94	7.26	2.75	3.42	2.78
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.15	0.15	0.14	0.02	0.02	0.01
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	29.92	35.36	31.39	7.35	8.13	6.66
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	10.87	12.80	11.43	2.95	3.46	2.89
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	20.20	21.80	20.94	3.85	4.92	4.38
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.18	0.24	0.17	0.03	0.05	0.03
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	2.01	2.49	2.21	0.30	0.67	0.48
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	79.92	91.75	80.37	24.00	25.30	20.25
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	14.30	18.43	14.76	3.59	4.47	3.65
	अखिल भारत	**356.08**	**437.47**	**357.81**	**110.18**	**127.42**	**109.73**	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**111.92**	**105.14**	**96.29**	**381.45**	**450.79**	**396.60**	**110.42**	**121.72**	**100.80**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > डीबीटी बिक्री

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक लोक सभा के दिनांक 07.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3380 उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है।

अप्रैल 26 से जुलाई 26 (31.07.2026 के अनुसार) तक का कुल विवरण

खरीफ मौसम अप्रैल 26 से जुलाई 26 (31.07.2026 के अनुसार) तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन आदि को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन						कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	विवरण के साथ दोषसिद्ध*	गिरफ्तारियों की संख्या	ज़ब्त किए गए सामान की मात्रा (बोरियों के रूप में)	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	5460	7	13	0	95	73	4	45	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	147	86	4
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
असम	3327	7	0	0	6	0	0	1	0	0	4	4	0	शून्य	0	0	18	4	0
बिहार	18022	718	686	63	1	149	15	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	719	835	78
छतीसगढ	5486	209	48	6	37	10	2	76	0	1	0	0	1	शून्य	0	30029	322	58	10
दादर एवं नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
दिल्ली	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
गोवा	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
गुजरात	7822	39	0	2	4	5	0	17	0	8	2	0	7	शून्य	0	0	62	5	17
हरियाणा	494	8	7	0	22	31	6	9	6	0	3	6	2	शून्य	0	0	42	50	8
हिमाचल प्रदेश	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	9226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	शून्य	0	1562	0	0	1
झारखंड	727	14	0	0	31	2	0	0	1	0	0	0	1	शून्य	0	0	45	3	1
कर्नाटक	17137	2132	2	0	0	0	0	78	0	0	5	0	7	शून्य	0	4424	2215	2	7
केरल	651	0	0	0	0	0	0	15	0	0	4	0	2	शून्य	0	2272	19	0	2
मध्य प्रदेश	1021	0	0	4	0	0	0	0	0	9	23	22	0	शून्य	0	0	23	22	13
महाराष्ट्र	42353	850	575	19	728	222	1	563	426	40	16	20	7	शून्य	0	0	2157	1243	67
मणिपुर	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
मेघालय	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
मिजोरम	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
नागालैंड	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
ओडिशा	10318	0	2	0	0	0	1	5	2	1	0	0	0	शून्य	0	246	5	4	2
पुदुचेरी	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
पंजाब	1912	10	0	0	0	0	0	57	8	4	49	0	8	शून्य	0	0	116	8	12
राजस्थान	8450	712	22	2	139	28	6	126	0	1	167	1	6	शून्य	2	5058	1144	51	15
तमिलनाडु	5868	8	0	0	139	0	6	221	0	0	118	0	2	शून्य	0	290	486	0	8
तेलंगाना	11658	28	9	6	0	0	0	0	2	0	3	2	1	शून्य	0	0	31	13	7
त्रिपुरा	1050	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	184	0	0
उत्तर प्रदेश	11181	1092	363	26	47	58	2	87	69	5	23	58	8	शून्य	0	3826	1249	548	41
उत्तराखंड	376	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	शून्य	0	0	2	1	1
पश्चिम बंगाल	16661	5	2	0	276	16	0	42	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	323	18	0
कुल	**180091**	**5840**	**1729**	**129**	**1709**	**594**	**43**	**1343**	**515**	**69**	**417**	**113**	**53**	**0**	**2**	**47707**	**9309**	**2951**	**294**

• - विवरण दिया जाना है - वाद संख्या, एफआईआर का वर्ष और वाद दर्ज करने का वर्ष तथा आदेश की तारीख

उपर्युक्त डाटा राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार संकलित किया गया है